रेशमा रानी,-याचिकाकर्ता

बनाम:

रविंदर पाहवा और अन्य,-प्रतिवादी।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1984 का 1864.

16 जुलाई 1985.

दहेज निषेध अधिनियम (1961 का XXVIII) - धारा 6 और 7 - की व्याख्या - धारा 6 के तहत शिकायत कब दर्ज की जा सकती है।

निर्णय, कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 और 7 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून का इरादा यह था कि विवाह की तारीख से एक वर्ष तक अधिनियम के तहत कोई आपराधिक शिकायत नहीं होगी। विधायिका ने अपने विवेक से सोचा कि विवाह के बाद की अवधि पति-पत्नी के लिए एक संवेदनशील समय था और आपराधिकता के किसी भी तत्व को माहौल पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। विवाह की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही शिकायत की जा सकती है और एक वर्ष की अवधि के भीतर, जैसा कि धारा 6(1) (ए), (बी) और (सी) से स्पष्ट है, दहेज यदि विवाह से पहले प्राप्त किया गया है, तो सामान्यतः वापस किया जा सकता है, दहेज, यदि विवाह के समय या बाद में प्राप्त किया गया है, तो इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर वापस किया जा सकता है और एक महिला जो नाबालिग थी, के लिए दहेज प्राप्त होने पर, वर्ष के भीतर वापस किया जा सकता है। उसके वयस्क होने के बाद। इस प्रकार विधायिका ने कल्पना की कि दहेज एक अवधि के भीतर सही दिशा में हाथ बदल देगा ,विवाह की तारीख से एक वर्ष या महिला के वयस्क होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जैसा भी मामला हो। भले ही इस अवधि के दौरान आपराधिकता का कोई तत्व कुछ समय के लिए आ गया हो, उसका प्रायश्चित विवाह की तारीख से एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जा सकता है सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका। श्री एम. एल. शर्मा, एचसीएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमल की अदालत के 12 सितंबर, 1984 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए पी.सी., जिसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 और धारा 323, 506 और 392/34 भारतीय दंड संहिता के के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

(1) श्रीमती याचिकाकर्ता रेशमा रानी का विवाह प्रतिवादी रविंदर पाहवा से 10 मई, 1982 को नीलोखेड़ी, जिला कमल में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। बताया जाता है कि शादी के वक्त रविंदर पाहवा और उनके परिवार वालों को दहेज का कुछ सामान दिया गया था। इसके बाद, मई, 1983 के महीने में, रविंदर पाहवा को एक टेलीविजन सेट दिया गया क्योंकि मूल रूप से इसे शादी के समय दिया जाना था लेकिन इसकी प्रस्तुति में देरी हुई। 23 जुलाई, 1983 को दोनों पक्षों के बीच कुछ अप्रिय घटना घटी, जिसके परिणामस्वरूप पति-पत्नी के बीच विवाह में तनाव आ गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 9 मई, 1984 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें हरियाणा में लागू दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506/ 392/34 के तहत अपराध की शिकायत की गई। दंड संहिता। हरियाणा में लागू दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत शिकायत, 9 मई, 1984 के इस आदेश के तहत, जिला मजिस्ट्रेट, कमल से मंजूरी प्राप्त करने के बाद दायर की गई थी।

■ (2) विद्वान मजिस्ट्रेट ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह स्पष्ट रूप से समय से बाधित है। बाकी अपराधों के संबंध में उन्हें शिकायतकर्ता के मामले पर संदेह हुआ. इन कारणों से, उन्होंने शिकायत को खारिज कर दिया। ये आदेश आरोपी-प्रतिवादियों को बुलाए बिना पारित किए गए। शिकायतकर्ता ने पुनरीक्षण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(3) प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत शिकायत को कालबाधित मानकर खारिज करने में विद्वान मजिस्ट्रेट का दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है। अब, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है: -

"6. दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना चाहिए।

(1) जहां दहेज उन महिलाओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनके विवाह के संबंध में यह दिया गया है तो वह व्यक्ति इसे उस महिला को हस्तांतरित कर देगा-

(ए) यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था, तो शादी की तारीख के तीन महीने के भीतर; या:

(बी) यदि दहेज विवाह के समय या उसके बाद प्राप्त हुआ था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर; या:

(सी) यदि दहेज तब प्राप्त हुआ था जब महिला अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर नाबालिग थी और इस तरह के स्थानांतरण के लंबित होने पर, महिला के लाभ के लिए इसे ट्रस्ट में रखा जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने में विफल रहता है, तो उसे कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। दो साल तक की सजा या जुर्माना जो दस हजार तक बढ़ाया जा सकता है

(3) जहां उपधारा (1) के तहत किसी संपत्ति की हकदार महिला की उसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो महिला के उत्तराधिकारी इसे उस समय रखने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे।

(4) इस धारा में निहित कोई भी बात धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

हरियाणा राज्य पर लागू धारा 7 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

(5) अपराधों का संज्ञान.—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,— -

* * * *

(6) कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि-

(i) अपने स्वयं के ज्ञान या तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट जो इस तरह के अपराध का गठन करती है; या:

(ii) अपराध से पीड़ित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार, या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा शिकायत;

(4) उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का इरादा यह था कि विवाह की तारीख से एक वर्ष तक दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत एक आपराधिक शिकायत होगी। विधायिका ने शायद अपने विवेक से सोचा कि विवाह के बाद का समय पति-पत्नी के लिए एक संवेदनशील समय होता है और आपराधिकता के किसी भी तत्व को माहौल पर हावी नहीं होने देना चाहिए। विवाह की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही शिकायत सक्षम होती है। और एक वर्ष की उस अवधि के भीतर, जैसा कि धारा 6(एल)(ए), (बी) और (सी) से स्पष्ट है, दहेज, यदि विवाह से पहले प्राप्त हुआ है, तो सामान्यतः वापस किया जा सकता है, दहेज, यदि उस समय प्राप्त हुआ हो या विवाह के बाद, इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर और दहेज, जब एक महिला जो नाबालिग थी, उसके वयस्क होने के बाद एक वर्ष के भीतर वापस किया जा सकता है। विधायिका ने इस प्रकार कल्पना की कि दहेज विवाह की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या महिला द्वारा वयस्कता प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जैसा भी मामला हो, सही दिशा में हाथ बदल देगा। भले ही इस अवधि के दौरान आपराधिकता का कोई तत्व कुछ समय के लिए आ गया हो, उसका प्रायश्चित विवाह की तारीख से एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जा सकता है, आदि।

(5) वर्तमान मामले में, एक वर्ष की अवधि स्पष्ट रूप से 9 मई, 1983 को समाप्त हो गई, और शिकायत 9 मई, 1984 को उस समय दायर की गई जब धारा 7 की रोक लागू नहीं हुई थी। टेलीविज़न सेट के संबंध में, शिकायत में आरोप कुछ हद तक अस्पष्ट है, क्योंकि, यह कब दिया गया था, इसकी विशेष रूप से कोई तारीख नहीं बताई गई है। यह 9 मई, 1983 से पहले भी हो सकता है, और यदि ऐसा था तो शिकायत निश्चित रूप से सक्षम थी और धारा 7 की रोक नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन अगर यह 9 मई, 1983 के बाद दिया गया था, तो जाहिर तौर पर शिकायत धारा 7 के दायरे में आएगी। किसी भी मामले में, यह सबूत का मामला है। यह अवधि कुछ हद तक सीमांत होने के कारण, न्यायालय, जून, 1984 से, शिकायत को धारा 7(बी) की सीमा से अधिक मान सकता है। में या तो:मामले में, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह मानना कि जब शादी 10 मई, 1982 को हुई थी, और वर्तमान शिकायत 9 मई, 1984 को दर्ज की गई थी, एक वर्ष के भीतर नहीं, और स्पष्ट रूप से समय से बाधित थी, कानून में अस्थिर. इन कारणों से, आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। चूँकि इस संबंध में व्यक्त विद्वान मजिस्ट्रेट का दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है जो उसने शिकायत में शिकायत किए गए अन्य अपराधों के संबंध में लिया है, इसलिए संपूर्ण आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है और इसे विद्वान मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया है। अपना दिमाग नए सिरे से लगाएं और कानून के मुताबिक कार्यवाही करें। शिकायतकर्ता को अपने वकील के माध्यम से 12 अगस्त 1985 को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र